रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2001/पौष 28, 1922

No. 34] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2001/PAUSA 28, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2001

का.आ. 52(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 1 और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन अधिसूचना, जिसके द्वारा, महाबलेश्वर पंचगणी को पारिस्थितिक संवेदनशील प्रदेश के रूप में अधिसूचित करने वाली और उस प्रदेश में ऐसे उद्योगों, संक्रियांओं, प्रसंस्करणों और अन्य विकासशील क्रियाकलापों पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाली जिनका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, अधिसूचना के विरूद्ध आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे, का.आ. सं.693(अ), तारीख 25 जुलाई, 2000 में प्रकाशित की गई थी ।

और प्राप्त सभी आक्षेपों या/और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप् से विचार किया है ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाबलेश्वर पंचगणी प्रदेश को (जैसा कि महाराष्ट्र सरकार की तारीख 29 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना में पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के रूप में परिभाषित किया गया है), (जिसकी प्रति उपाबंधों के रूप में संलग्न है) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के रूप में अधिसूचित करती है । इस प्रदेश में महाबलेश्वर तहसील की सीमाओं और महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले की जावली तहसील के बोंडारबाडी भूतेगढ़ दानवाली, तलोसी और उबरी गांवों की सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित होगा ।

1. वनों में सभी क्रियाकलाप (नगर पालिका क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे । अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

2. पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में विनियमित किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलापों की प्रतिस्थापना की जाती है ।

(क) आंचलिक मास्टर प्लान :-

(i) सम्पूर्ण अंचल के लिए एक मास्टर प्लान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी । मास्टर प्लान को प्रकाशित करने के लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जो महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, 1966 के अधीन विहित है । मास्टर प्लान उन परिसीमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से उपदर्शित कर सकेगी जहां उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ii) उक्त मास्टर प्लान सभी विद्यमान वनों, हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, जैसे स्ट्राबेरी फार्मों, रसभरी फार्मों, फलोद्यानों, जनजातीय क्षेत्रों और अन्य पर्यावरणिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करेगी । हरित उपयोगों जैसे उद्यान, कृषि क्षेत्रों, कृषि उद्यानों और अन्य ऐसे ही स्थानों से भूमि के उपयोग का कोई परिवर्तन मास्टर प्लान में गैर-हरित उपयोगों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । मास्टर प्लान में यातायात को, विशेषकर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में होकर जानेवाले यातायात को विनियमित करने के लिए उपाय इंगित किए जाएंगे और अनुबंध अधिकथित किए जाएंगे ।

(iii) महाबलेश्वर और पंचगणी नगर पालिका क्षेत्रों के भीतर और बाहर क्षेत्रों में उप आंचलिक मास्टर प्लान होंगे जो आंचलिक मास्टर प्लान के घटक के रूप में राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा सकेंगी और उस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

इस उप आंचलिक मास्टर प्लान में गोथान क्षेत्रों के लिए भवन निर्माण विनियमों को भी सम्मिलित किया जाएगा ।

(iv) ऊपर निर्दिष्ट आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मासटर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन तक अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात, अनुज्ञेय ऊंचाई मंजिलों की अनुज्ञेय अधिकतम संख्या और अनुज्ञेय भू सीमा क्षेत्र के विद्यमान प्राचलों में कोई वृद्धि नहीं होगी और वन अंचल/हरित अंचल/कृषि अंचल में भी कोई कमी नहीं होगी । भवनों की आंत्यतिक ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होगी और मंजिलों की संख्या भूतल धन एक से अधिक नहीं होगी।

(ख) औद्योगिक ईकाईयां :-

(i) उद्योगों की स्थिति केवल अभिहित औद्योगिक क्षेत्रों या संपदाओं में होगी और वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा तय किए गए मार्गदर्शनों और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार होगी । तथापि, यह ऐसी उन सभी इकाईयों को लागू नहीं होंगे जिन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को या उससे पूर्व उन्हें स्थापित करने की सम्मति और अन्य सभी कानूनी अनुज्ञाएं अभिप्राप्त कर ली हैं तथा स्थल पर संनिर्माण प्रारंभ कर दिया है ।

(ii) भविष्य में केवल अप्रदूषित, अपरिसंकटमय सेवा वाले ऐसे उद्योगों, एककों को, जो प्रसंस्कृत और तैयार चमड़े से जूते बनाते हों, तथा पुष्प कृषि उद्यान कृषि आधारित या कृषि आधारित ऐसे उद्योगों जो पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल से देशी माल से उत्पादों का उत्पादन करती हैं इस अंचल में अनुज्ञात किया जाएगा ;

परंतु इनसे प्रदूषित बहिस्राव, उत्सर्जन या संघात नहीं होता हो ।

(iii) गैर नगर पालिका क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी अनुज्ञात किया जाएगा :

(क) लारजर डेरी, पाल्ट्री, मसरूम-रियरिंग और समवर्गी कृषि क्रियाकलापों की प्रकृति के अन्य यूनिटों और उससे संबद्ध सन्निर्माणों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जा सकेगा जो अधिकतम 1/8 निर्मित क्षेत्र के अधीन होगा जिसे मानीटरिंग समिति द्वारा शिथिल किया जा सकेगा ।

(ख) लघु कृषि आधारित उद्योगों से सम्बद्ध संरचनाओं, स्थानीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और स्थानीय कृषि आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण या भंडारण की आवश्यकता से संबंधित

क्रियाकलापों को भी अनुज्ञात किया जा सकेगा जो सामान्यतया " कृषि नहीं है" अनुज्ञा अपेक्षाओं और 1/8 में अधिकतम निर्मित क्षेत्र के अध्यधीन होगा ।

(ग) खदान क्रिया और खनन :- खदान क्रिया और खनन क्रियाकलाप इस क्षेत्र में प्रतिबंधित होंगे । पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में कोई नया खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा । तथापि मानिटरी समिति केवल स्थानीय निवासीय गृह निर्माण के संनिमार्ण और परम्परागत सड़क अनुरक्षण संकर्म के लिए अपेक्षित सामग्रियों की सीमित खदान क्रिया के लिए विशेष अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकारी होगी :

परंतु ऐसी खदान क्रिया वन भूमि पर नहीं की जाती हो ।

(घ) वृक्ष :- पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर की भूमि चाहे वन, सरकारी राजस्व या निजी भूमि हो वन भूमि की दशा में राज्य सरकार और सरकारी राजस्व और निजी भूमि की दशा में संबंधित जिला कलेक्टर की बिना पूर्व अनुज्ञा के जो उस प्रक्रिया के अनुसार होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी कोई वृक्ष नहीं गिराया जाएगा, परन्तु यह कि जिला कलेक्टर इस शक्ति को उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं करेगा ।

(ङ) पर्यटन :- पर्यटन क्रियाकलाप भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होंगे । पर्यटन मास्टर प्लान आंचलिक मास्टर प्लान का एक घटक रूप भी होगी ।

पर्यटन मास्टर प्लान पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के चलाये जाने की क्षमता के विस्तृत अध्ययन पर आधारित होगी जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएगी । सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप पर्यटन के लिए विकास या पर्यटन क्रियाकलाप जो विद्यमान है, के विस्तार की अनुज्ञा केवल इस पर्यटन प्लान या चलाए जाने की क्षमता के अध्ययन की परिसीमाओं के भीतर ही दी जाएगी । अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाने तक नए पर्यटन क्रियाकलाप और पर्यटन के लिए विकासों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शनों के अध्यधीन मानिटरिंग समिति द्वारा विस्तृत विश्लेषण किए जाने और अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञापित किया जाएगा ।

(च) प्राकृतिक विरासत :- अंचल में मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के स्थलों की पहचान विशिष्ट रूप से, चट्टान निर्माणों, जल प्रपातों, पूलों, तंगघाटियों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, सैरों, सवारियों इत्यादि के रूप में की जाएंगी और प्लानों को उनके प्राकृतिक स्थापन में उनके संरक्षण को आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लानों में सम्मिलित किया जाएगा । इन स्थलों पर या उनके निकट संनिर्माण क्रियाकलापों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शन तय किए जाएंगे जिसके अंतर्गत पर्यटक को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था भी है । अंचल में सभी जीन पूल आरक्षित क्षेत्रों को परिरक्षित किया जाएगा । राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके संरक्षण या परिरक्षण के लिए उचित प्लान तैयार करेगी । ये प्लान आंचलिक मास्टर प्लान और उप-आंचलिक मास्टर प्लानों के भाग रूप होंगे ।

(छ) मानव निर्मित विरासत :- ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के भवनों, संरचनाओं, आर्टीफेक्टों, क्षेत्रों और प्रसीमाओं की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण, विशेषकर उनके बाहरी स्वरूप (और जहां उचित समझा जाए, वहां अंदरूनी स्वरूप) के संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी और उसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लानों में सम्मिलित किया जाएगा । राज्य सरकार, अंचल में, विशेष रूप से महाबलेश्वर और पंचगणी म्युनिसिपल सीमाओं के भीतर तथा क्षेत्र महाबलेश्वर में भवन और अन्य क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बना सकेगी, जिससे कि शहरों का और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंचल का विशेष स्वरूप और सुभिन्न परिवेश बनाए रखा जा सके ।

(ज) विरासत स्थलों (प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों) पर या उनके आसपास विकास और सन्निर्माण क्रियाकलापों का विनियमन, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1995 में बनाए गए, समय-समय पर यथा संशोधित और सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित प्राकृतिक और मानव निर्मित स्थलों के लिए प्रारूप माडल, विनियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(झ) भूगर्भ जल :- भूगर्भ जल के निष्कर्षण की अनुज्ञा केवल प्लाट के स्वामी के सदभावी कृषि और घरेलू उपभोग के लिए दी जाएगी । प्राइवेट औद्योगिक/वाणिज्यिक/आवासीय संपदा/कम्प्लेक्सों के लिए भूगर्भ जल के निष्कर्षण के लिए राज्य भूगर्भ जल बोर्ड की अनुज्ञा अपेक्षित होगी । भूगर्भ जल के विक्रय की मानीटरिंग समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ञ) प्लास्टिक का उपयोग :- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंचल में प्लास्टिक का उपयोग निगरानी समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

(ठ) बहिस्रावों का निष्सारण :- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंचल में किसी अनुपचारित बहिस्राव का निस्सारण प्रतिषिद्ध है । किसी बहिस्राव का चाहे वह उपचारित हो अथवा अनुपचारित अंचल के भीतर किसी जलाशय/जलाशयों और जल स्रोत/स्रोतों में निस्सारण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ड) ठोस अपशिष्ट :- स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय घटकों में पृथक करने की योजना बनाएंगे । जैव निम्नीकरणीय सामग्री अधिमानतः कम्पोस्टिंग या कृमि पालन द्वारा पुनः चक्रित की जा सकेगी, अकार्बनिक सामग्री पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य अवस्थानों पर व्ययनित की जा सकेगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट पद में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और उद्यान संबंधी अपशिष्ट भी सम्मिलित है ।

3. (क) भारत सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति गठित करेगी । अधिसूचना के उपरोक्त उपबंधों के अलावा, मानीटरिंग समिति को पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के भीतर शोर प्रदूषण को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्तियां होंगी । मानीटरिंग समिति को यातायात विशेषकर पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के अंदर यातायात को विनियमित करने की भी शक्तियां होंगी । जब मास्टर प्लान को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तब ऐसा विनियमन मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुरूप होगा । मानीटरिंग समिति में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, के प्रतिनिधि और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के (विरासत संरक्षण सहित) कम से कम दो प्रतिनिधि (जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) सम्मिलित होंगे । समिति की सदस्य संख्या, अध्यक्ष सहित, दस से अधिक नहीं होगी ।

(ख) निगरानी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध उसके ध्यान में आते हैं तो वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन उनकी शिकायतें फाइल करे ।

(ग) निगरानी समिति द्वारा प्राधिकृत कोई समिति या कोई अधिकारी या कोई सदस्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग और उच्च स्तरीय निगरानी समिति को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित कृत्य और उससे आनुषंगिक सभी बातें (समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाग प्रभाग निर्वारण अधिसूचना, तारीख 27 जनवरी, 1994 के उपबंधों के अधीन ऐसे कृत्यों को छोड़कर जिनका पालन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाना यथा अपेक्षित है) करने के लिए सशक्त करता है ।

5. परंतु यह कि इस अधिसूचना के अधीन प्रत्यायोजित कृत्यों की बाबत किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील पर्यावरण और वन मंत्रालय को की जाएगी ।

[फा. सं. जे-20011/7/98/आई.ए-III]

डा. वी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव